| आदेश | कार्यवाही विवरण | अनुपालन क्रमांक |
|---|---|---|
| 13/9/22 | पत्रावली प्रस्तुत बहुलाल पुत्र अपीलार्थी न. 1 व 2 वापस दाखिल दफ्तर की गई अतः मेरे विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी प्रार्थना पत्र मूल पर श्रवण की गयी वादी के प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों के दोहराया तथा कथन किया कि अनावेदकगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को विक्रय करके, अविवेक के बदले होने पर आमादा है अनावेदकगण के दावे के निस्तारार्थ नक्शा पंचायत करवाया जाना प्रार्थनीय है प्रार्थना पत्र मूल का अवलोकन व वाद पत्र पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी के प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम होडी पटवार हल्का हुडिला की खसरा के अंकित खसरा नं. 419, 488 - कुल रकबा 1.33 है, में अनावेदकगण दावे के निस्तारण के तक यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली कुमन कुमार दाखिल दफ्तर व एक दो व [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 11:20:12 IST
Reason: SelfAttested